



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052022-235926
CG-DL-E-21052022-235926

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2211]
No. 2211]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2022

का.आ. 2331(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.4666 (अ) तारीख 11.11.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के NH326 के कि.मी. 323.9 पर पात्रपुट एच. एल. पुलों के निर्माण (चौड़ीकरण /पेब्ड शोल्डर सहित 2 लेन / 4 लेन बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 22.12.2021 " को "प्रमेय" और "समय " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में NH326 के कि.मी. 323.9 पर पात्रपुट एच. एल. पुलों के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा		जिले का नाम: कोरापुट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बोईपारिगुडा					
गांव का नाम: बिचालकोटा					
1	295	सरकारी	नदी	0.72	अबाड् अयोग्य अनबदी (२९५)
2	298	निजी	डांगर	0.46	चंद्र परजा (२९८)
3	299	निजी	डांगर	0.42	सदन परजा (२९९)
4	307	निजी	डांगर	0.04	साधू परजा (३०७)
तालुक का नाम: जयपुर					
गांव का नाम: कंजेई					
1	48	निजी	डांगर-२	0.202	श्री माधव पूजारी (४८)
2	49	निजी	डांगर-२	0.308	बुधू बिमुदी, रत्नम बिमुदी, सदासिब बिमुदी (४९)
3	49/242	निजी	डांगर-२	0.036	पूर्ण चंद्र पट्टनायक (४९/२४२)

4	50	निजी	डांगर-२	0.138	धना गंदा गुड़िया (५०)
5	63	सरकारी	नदी	1.831	अबाड् अयोग्य अनबदी (६३)
			कुल	4.155	

[फा. सं. : RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th May, 2022

S.O. 2331(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O No 4666 dated 11.11.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of HL Bridge near Patraput at Km 323.9 on NH-326 in the state of ODISHA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Prameya” and “Samaya” both dated 22.12.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling in the stretch of land for construction of H.L Bridge near Patraput at Km 323.9 on NH-326 in the state of ODISHA.

State: ODISHA		District: KORAPUT			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Boipariguda				
	Village: Bichalkota				
1	295	Government	River	0.72	Abad Ajogya Anabadi 295
2	298	Private	Dangar	0.46	Chandra Paraja 298
3	299	Private	Dangar	0.42	Sadan Paraja 299
4	307	Private	Dangar	0.04	Sadhu Paraja 307
	Taluk: Jeypore				
	Village: Kanjei				
1	48	Private	Dangar-2	0.202	Sri Madhaba Pujari 48
2	49	Private	Dangar-2	0.308	Budhu Bimudi, Ratnam Bimudi, Sadasiba Bimudi 49
3	49/242	Private	Dangar-2	0.036	Purna Chandra Pattanaik 49/242
4	50	Private	Dangar-2	0.138	Dhana Ganda Gudia 50
5	63	Government	River	1.831	Abad Ajogya Anabadi 63
			TOTAL	4.155	

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016 /3D1]

RAJESH GUPTA, Director